

न्यायालय:-अमनदीप सिंह छाबडा,
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर जिला बालाघाट म.प्र.

आप0 प्रकरण क्र0-657 / 04

संस्थित दिनांक 30.06.2004

F.No.2345030000172004

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र बैहर,
जिला बालाघाट म0प्र0।

.....अभियोजन।

विरुद्ध

1. कोकिलेश्वर पिता स्व0 केशवराव कदम, उम्र-34 वर्ष,
 2. मुक्ताबाई पति स्व0 केशवराव कदम, उम्र-60 वर्ष
 3. सुनीता कदम पति राजेश्वर कदम, उम्र-24 वर्ष,
 4. राजेश्वर उर्फ कालू पिता स्व0 केशवराव कदम, उम्र-30 वर्ष
 5. राजू उर्फ गौरीशंकर पिता स्व0 केशवराव कदम, उम्र-26 वर्ष
- सभी साकिन कम्पाउंडरटोला वार्ड नं.07 बैहर जिला बालाघाट (म0प्र0)।
6. मनोज भोसले पिता अशोकराव भोसले उम्र-29 वर्ष,
थाना अजनी नागपुर यशवंत स्टेडियम झाटोली नागपुर वार्ड नं.65(फौत)
 7. केशवराव कदम पिता श्यामराव कदम, उम्र-74 वर्ष,
साकिन कम्पाउंडरटोला वार्ड नं.07 बैहर
जिला बालाघाट (म0प्र0)।(फौत)

.....अभियुक्तगण।

-:: **निर्णय ::-**

दिनांक 22.02.2018 को घोषित

01- अभियुक्तगण पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा-147, 148, 332, 353, 294, 506 सहपठित धारा-149 के अंतर्गत यह आरोप है कि उन्होंने दिनांक 16.01.04 को 14:00 बजे ग्राम कम्पाउंडरटोला बैहर थाना अंतर्गत बैहर केशव कदम के घर के सामने विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य रहकर सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में बल का प्रयोग कर बलवा उस समय घातक आयुध तलवार से सुज्जित थे जिससे अकामण आयुध के रूप में प्रयोग किये जाने पर मृत्यु कारित होना संभाव्य थी, उक्त घटना दिनांक समय व स्थान पर उक्त जमाव के सदस्य रहते हुये प्रार्थी मनीष राय थाना प्रभारी बैहर को जो लोकसेवक था उस

समय जब वह वैसे लोकसेवक के नाते सूचना प्राप्त होने पर सट्टा पकड़ने तुम्हारे घर गया था तो उसे तलवार से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित किया और उसे भयोपरत करने के लिये आपराधिक बल का प्रयोग किया तथा उक्त जमाव के सदस्य रहते हुए प्रार्थी मनीष राय थाना प्रभारी बैहर और उसके स्टाफ को मॉ-बहन के अश्लील शब्दों का उच्चारण कर उसे एवं सुनने वालों को क्षोभ कारित किया एवं उक्त जमाव के सदस्य रहते हुए प्रार्थी मनीष राय थाना प्रभारी बैहर और उसके स्टाफ को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभिसंत्रास कारित किया।

02— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी श्री मनीष राय उपनिरीक्षक थाना प्रभारी बैहर ने एक जप्तशुदा तलवार मय जप्ती पंचनामें के पेश करते हुए रिपोर्ट दर्ज कराया कि थाने पर उसे मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि राजेश्वर कदम द्वारा कम्पाउंडरटोला बैहर में सट्टा खिलाया जा रहा है। उक्त सूचना पर सान्हा 759 पर 10:35 बजे मय आरक्षक 511 अवधेश, 68 परमसिंह महिला आरक्षक के रवाना हुआ तथा कस्बे से प्र.अ. अशोक डहाके, आर0 373 भूमेश्वर, आर.224 रामभजन साहू को हमराह मौका कम्पाउंडरटोला पहुँचकर आरोपी राजेश्वर, कोकिलेश्वर से सहा अकराम एवं रूपये जप्त कर आरोपीगण को गिरफ्तार कर थाना वापस आ रहा था, तभी आरोपीगण के भाई गौरीशंकर, मॉ मुक्ता, राजेश्वर की पत्नि सुनीता एवं साला मनोज भोसले एक राय होकर आये तथा आरोपीगण के साथ मिलकर उसे तथा हमराह फोर्स को मॉ-बहन की गंदी-गंदी गालियाँ देने लगे तथा धमकाकर हाथ-मुक्कों से मारपीट करने लगे। आरोपी केशव कदम ने अपने घर से एक तलवार निकाला तथा उसे जान से मारने की नियत से पेट पर मारा जिसे उसने हाथ से पकड़कर रोका, जिससे उसका दाहिने हाथ की कलाई के पास कट गया, जिससे खून बहने लगा। मौके पर रियाज खान, नदीम मोहम्मद, फिरोज एवं जावेदखान एवं अनेक लोग उपस्थित थे, जिन्होंने घटना देखा है। आरोपी द्वारा किये गये हमले से उसे दाहिने हाथ में चोट आई तथा प्र.आर.109 के बांये हाथ के अंगुठे तथा आरक्षक अवधेश तिवारी को बांये हाथ के अंगुठे पर चोटें आई।

आरोपी मनोज भोसले कहने लगा सालों को नागपुर के गुंडों से कटवाकर फिकवा दूंगा। उसके बाद आरोपी केशव कदम से तलवार जप्त किये। आरोपी केशव को उच्च रक्तचाप के मरीज होने से गिरफ्तार नहीं किया गया तथा शेष आरोपी भाग गये। धारा-4क सार्वजनिक धुत अधिनियम में गिरफ्तार आरोपी राजेश्वर एवं कोकिलेश्वर को लाने लाया गया। जप्तशुदा तलवार के संबंध में जप्ती पत्रक तैयार किया गया। उक्त रिपोर्ट के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपीगण के विरुद्ध अभियोग पत्र क्रमांक 75/04 तैयार किया जाकर न्यायालय में पेश किया गया।

03— अभियुक्तगण को अपराध विवरण की विशिष्टियाँ पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर उन्होंने अपराध किया जाना अस्वीकार किया है। आरोपीगण का विचारण किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन साक्षीगण द्वारा प्रकट किये गये तथ्यों एवं परिस्थितियों को अभियुक्तगण ने अपने अभियुक्त परीक्षण कथन अंतर्गत धारा-313 जा0फौ0 में अस्वीकार किया है। प्रतिरक्षा में प्रवेश कराये जाने पर उसका बचाव है कि वह निर्दोष है, उन्हें मामले में झूठा फँसाया गया है। अभियुक्तगण ने अपने बचाव में कोई साक्ष्य पेश नहीं की।

04— प्रकरण के निराकरण हेतु मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है:—

1. क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 16.01.04 को 14:00 बजे ग्राम कम्पाउण्डरटोला बैहर थाना अंतर्गत बैहर केशव कदम के घर के सामने विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य रहकर सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में बल का प्रयोग कर बलवा उस समय घातक आयुध तलवार से सुज्जित थे, जिससे आक्रामक आयुध के रूप में प्रयोग किये जाने पर मृत्यु कारित होना संभाव्य थी ?

2. क्या अभियुक्तगण ने उक्त घटना दिनांक समय स्थान पर उक्त जमाव के सदस्य रहते हुये प्रार्थी मनीष राय थाना प्रभारी बैहर को जो लोकसेवक था उस समय जब वह वैसे लोकसेवक के नाते सूचना प्राप्त होने पर सट्टा

पकड़ने उनके घर गया था तो उसे तलवार से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित किया और उसे भयोपरत करने के लिये आपराधिक बल का प्रयोग किया ?

3. क्या अभियुक्तगण ने दिनांक, समय व स्थान पर उक्त जमाव के सदस्य रहते हुये प्रार्थी मनीष राय थाना प्रभारी बैहर और उसके स्टाफ को माँ-बहन के अश्लील शब्दों को उच्चारण कर उसे एवं सुनने वालों को क्षोभ कारित किया ?

4. क्या अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त जमाव के सदस्य रहते हुये प्रार्थी मनीष राय थाना प्रभारी बैहर और उसके स्टाफ को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

—: सकारण निष्कर्ष :—

विचारणीय प्रश्न क.01 से 04

उक्त विचारणीय प्रश्न परस्पर संबंधित होने से साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो तथा सुविधा को दृष्टिगत रखते हुये उनका एक साथ निराकरण किया जा रहा है।

05— साक्षी मनीष राय अ.सा.08 ने कथन किया है कि वह आरोपीगण को जानता है। घटना दिनांक 16.01.2004 की है। उक्त दिनांक को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि आरोपी राजेश्वर एवं कोकिलेश्वर अपने घर में सट्टा खिला रहे हैं। उक्त सूचना पर वह हमराह स्टाफ आरक्षक अवधेश तिवारी, आरक्षक परमसिंह एवं महिला आरक्षक सरोज एवं अन्य के साथ घटनास्थल कम्पाउण्डरटोला रवाना हुआ था। सूचना की तस्दीक पर आरोपी राजेश्वर एवं कोकिलेश्वर अपनी दुकान के काउण्टर पर सट्टा पर्ची लिखकर सट्टा खिलाते हुए पाए गए। आरोपीगण से सट्टा-पट्टी जप्त कर आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपीगण को मौके से थाना लाने के समय आरोपीगण के पिता केशव तथा अन्य आरोपीगण द्वारा पुलिस पार्टी को गंदी-गंदी गालियाँ देकर हाथ-मुक्कों से मारपीट की गई।

06— साक्षी मनीष राय अ.सा.08 के अनुसार आरोपीगण के पिता द्वारा उसे जान से मारने की नियत से एक तलवार से हमला किया गया, जिसे उसके द्वारा हाथ से पकड़कर रोका गया, जिससे उसके दाहिने हाथ की कलाई पर चोट आई थी। आरोपीगण द्वारा की गई मारपीट से उसके अतिरिक्त आरक्षक अवधेश तिवारी तथा अन्य स्टाफ को भी चोट आई थी। इसके पश्चात् वह हमराह स्टाफ एवं गिरफ्तार आरोपीगण के साथ थाना वापस आया तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाया। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-7 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने मौके पर आकर उसकी निशानदेही पर घटनास्थल का मौकानक्शा बनाया था, जो प्रदर्श पी-8 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसे एवं अन्य स्टाफ को भी चोटें आई थी, जिसका मुलाहिजा फार्म भरकर उन्होंने ईलाज करवाया था, जो प्रदर्श पी-4 से लगायत प्र.पी.6 है, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा आरोपी केशवराव से गवाहों के समक्ष एक लोहे की तलवार जप्त की गई थी, जो प्रदर्श पी-1 है, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा मौके पर जप्त की गई तलवार प्रदर्श पी-2 के अनुसार जप्त हुई थी, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

07— साक्षी मनीष राय अ.सा.08 के अनुसार दिनांक 16.01.2004 को आरोपी कोकिलेश्वर को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-3 तैयार किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं एवं दिनांक 17.01.2004 को आरोपी मुक्ता और सुनिता को गवाहों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-9 एवं 10 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस को उसने बयान नहीं दिया था। साक्षी से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि मौके पर नदीम खान, रियाज खान, फिरोज खान एवं जावेद खान उपस्थित थे, आरोपीगण ने उसे नागपुर से गुण्डे बुलाकर मर्डर करवा देंगे की धमकी दी थी, उसने आरोपी केशव कदम से तलवार जप्त की थी।

08— साक्षी मनीष राय अ.सा.08 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि घटना के समय बैहर थाने के अन्य कर्मचारी उसके साथ उपस्थित थे, घटना होते ही तुरंत उसने शून्य पर घटना की कायमी उनके समक्ष नहीं की थी। साक्षी के अनुसार अन्य कर्मचारी भी घटना से पीड़ित थे। यह अस्वीकार किया है कि मौके पर सभी पुलिस कर्मचारी घटना से पीड़ित नहीं थे, किन्तु यह स्वीकार किया है कि मौके पर ही प्रदर्श पी-1 जप्ती पत्रक तैयार किया था। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि घटना के समय जप्ती पत्रक तैयार करने हेतु 10-15 मिनट लगे होंगे। साक्षी के अनुसार 5 मिनट लगे थे। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि प्रदर्श पी-1 तैयार करते समय उसने मौके पर ही शून्य पर रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई थी, किन्तु यह स्वीकार किया है कि आरोपी कोकिलेश्वर, राजेश्वर एवं केशव के अतिरिक्त अन्य आरोपीगण को नाम से नहीं जानता था। साक्षी के अनुसार घटना के दौरान अन्य आरोपीगण को नाम से पहचानता था। घटना के बाद मौके पर उपस्थित लोगों ने उसे अन्य आरोपीगण के नाम से परिचय कराया था। साक्षी के अनुसार अन्य आरोपीगण का नाम बताने वाला व्यक्ति कोकिलेश्वर था। वह घटना का समय ठीक से नहीं बता सकता, अंदाज से घटना का समय 11 से 1:00 बजे दिन का होगा।

09— साक्षी मनीष राय अ.सा.08 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि घटना के लगभग 15-20 मिनट बाद वह थाने पहुँच गया था, थाना पहुँचकर उसने तत्काल घटना की रिपोर्ट दर्ज करा दी थी, घटना की रिपोर्ट दर्ज करा देने के पश्चात् उसी दिन दोबारा वह मौके पर नहीं गया था। उसे याद नहीं है कि घटना के कितने दिन बाद पुलिस ने मौके पर उसके साथ जाकर मौका नक्शा बनाया था। साक्षी के अनुसार लगभग एक हफ्ते के अंदर ही यह कार्यवाही हुई थी। उसे याद नहीं है कि मौका नक्शा की कार्यवाही के समय फिरोज खान नामक गवाह उपस्थित था या नहीं। यह स्वीकार किया है कि जप्ती की कार्यवाही प्रदर्श पी-1 उसने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से न बनवाकर स्वयं बनाई थी, किन्तु यह अस्वीकार किया

है कि क्योंकि वह स्वयं आहत था, उसे स्वयं प्रदर्श पी-1 की जप्ती करने का अधिकार नहीं था। साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि प्रदर्श पी-1 के अनुसार मौके से ऐसी कोई तलवार जप्त नहीं हुई थी, उसने झूठे तौर पर तलवार जप्ती की प्रदर्श पी-1 की कार्यवाही प्रकरण बनाने के लिए किया था, किन्तु यह स्वीकार किया है कि रिपोर्ट करने के बाद उसकी कार्यवाही अन्य थाना प्रभारी ने विवेचना किया था। साक्षी के अनुसार तुरंत नहीं किया था, बाद में किया था।

10— साक्षी मनीष राय अ.सा.08 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उसने स्वयं अपने तथा आहत अवधेश तिवारी और अशोक डहाटे के मुलाहिजा के लिए आवेदन दिया था, उसने अन्य किसी पुलिस कर्मी के माध्यम से मुलाहिजा फार्म नहीं भरवाया था और ना ही प्रेषित किया था, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि उसे अथवा अन्य लोगों को चोट नहीं थी, इसलिए उसने मुलाहिजा फार्म किसी अन्य पुलिस कर्मचारी से नहीं भरवाया था। साक्षी ने स्वीकार किया है कि रिपोर्ट थाने में दर्ज करने के तुरंत बाद तलवार पुलिस थाना बैहर के लेखकर्ता अधिकारी को सौंप दी थी। लेखकर्ता अधिकारी द्वारा तत्काल रूप से तलवार की जप्ती की कार्यवाही की गई थी। आरोपी कोकिलेश्वर, मुक्ताबाई और सुनिता की गिरफ्तारी की कार्यवाही उसके द्वारा की गई थी। यह अस्वीकार किया है कि क्योंकि वह प्रकरण में फरियादी है इसलिए उसे विवेचना करने का अधिकार नहीं था। वह नहीं बता सकता कि वह कोकिलेश्वर एवं राजेश्वर को सट्टे के प्रकरण में घटना के समय कार्यवाही हेतु थाने लेकर गया था। साक्षी ने स्वीकार किया है कि सूचना प्रदर्श पी-7, जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-2 एवं मुलाहिजा प्रदर्श पी-4, 5 व 6 की कार्यवाही करने के अलावा थाने में और कोई कार्यवाही नहीं किया था।

11— साक्षी मनीष राय अ.सा.08 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि जब उसने आरोपीगण को कार्यवाही के समय मौके पर पकड़ा था तो उनके साथ अत्यधिक मारपीट की थी, जब वह

मारपीट कर रहा था तब शेष आरोपीगण बीच-बचाव कर रहे थे, आरोपीगण द्वारा बीच-बचाव किये जाने से एवं उसके द्वारा स्वयं गिर जाने से उसे व अन्य लोगों को चोटें आई थी, उन लोगों के द्वारा आरोपी राजेश्वर और कोकिलेश्वर को अत्यधिक मारपीट किया जा रहा था तब मौके पर नजीम खान, रियाज खान, फिरोज खान, जावेद खान और अन्य लोगों ने मारपीट होते हुए देखा था, उनके द्वारा कालू उर्फ राजेश्वर को मारपीट करने से पसली में चोट आई थी और वह गंभीर था, आरोपी राजेश्वर को उसकी चोटों का ईलाज कराने हेतु आरक्षक बबन यादव ले गया था। उसे नहीं मालूम की राजेश्वर का स्वास्थ्य केन्द्र बैहर में भर्ती होकर ईलाज हुआ था। उसे जानकारी नहीं है कि आरोपी राजेश्वर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर से उपचार हेतु जिला चिकित्सालय बालाघाट रिफर किया गया था। उसे जानकारी नहीं है कि आरोपी राजेश्वर दिनांक 16.01.2004 से दिनांक 20.01.2004 तक बैहर अस्पताल में भर्ती था और दिनांक 20.01.2004 से दिनांक 25.01.2004 तक बालाघाट अस्पताल में भर्ती था। वह नहीं बता सकता कि आरोपी राजेश्वर द्वारा न्यायालय में मुलाहिजा का आवेदन दिया गया था और न्यायालय द्वारा ही उसका मुलाहिजा करवाने का आदेश दिया गया था। उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि उपरोक्त सभी बातों की शिकायत पुलिस अधीक्षक महोदय को की गई थी या नहीं।

12— साक्षी मनीष राय अ.सा.08 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह अस्वीकार किया है कि उसने अपने पुलिस कथन में नागपुर से गुण्डे बुलवाकर मर्डर करवा देंगे की आरोपीगण ने धमकी दी थी वाली बात नहीं बताई थी। साक्षी के अनुसार यदि उपरोक्त बात उसके पुलिस कथन में न लिखी हो तो वह कारण नहीं बता सकता। साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि आरोपीगण ने पुलिस वालों को गंदी-गंदी गालियाँ नहीं दी थी और ना ही उनके द्वारा पुलिस वालों के साथ मारपीट की गई थी, आरोपी केशव ने उसे तलवार से नहीं मारा था। उसके कथन पुलिस ने उसकी रिपोर्ट लिखाने के बाद नहीं लिये थे। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि आरोपीगण मौके पर सट्टा-पट्टी के साथ नहीं

पाए गए थे। उसे जानकारी नहीं है कि आरोपी कोकिलेश्वर ने घटना से पूर्व न्यायालय से कबाड़ का सामान निलामी में खरीदा था।

13— साक्षी मनीष राय अ.सा.08 ने अपने प्रतिपरीक्षण में इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि मौके पर जो सामान जप्त किया गया था, वह कबाड़ का सामान था, जप्ती की कार्यवाही के समय आरोपी कोकिलेश्वर ने उसे न्यायालय की रसीद भी दिखाई थी, तब उसने आरोपी से कहा था कि वह न्यायालय की रसीद नहीं मानता और जप्ती की कार्यवाही करेगा। वह नहीं बता सकता कि उपरोक्त संबंध में आरोपीगण के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था और उसका विचारण हुआ था। साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि उसे उपरोक्त संबंध में न्यायालय द्वारा यह कहा गया था कि वह झूठे प्रकरण क्यों बनाता है, उपरोक्त बात से ही वह आरोपी कोकिलेश्वर से रंजित रखता है, उपरोक्त कारणों से उसने आरोपीगण के विरुद्ध झूठा प्रकरण बनाया है।

14— साक्षी अवधेश तिवारी अ.सा.05 ने कथन किया है कि वह दिनांक 16.01.2004 को थाना बैहर में आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उपनिरीक्षक मनीष राय साहब से आरोपी कोकिलेश्वर, राजेश्वर निवासी कंपाउन्डरटोला द्वारा सट्टा खिलाने की सूचना पर उपनिरीक्षक राय साहब, आरक्षक पूरन मेरावी, महिला आरक्षक सरोज तथा वह कस्बा भ्रमण हेतु निकले एवं रास्ते में प्रधान आरक्षक अशोक डहाके, रामभजन साहू, भूनेश्वर आदि मिले जिन्हें भी राय साहब ने साथ में लिया और दोपहर करीब 2-2:15 बजे कंपाउन्डर टोला में आरोपीगण के घर के आस-पास रेड कार्यवाही की और घेराबंदी कर आरोपी राजेश्वर, कोकिलेश्वर के कब्जे से सट्टा सामग्री बरामद की गई तथा दोनों आरोपी को लेकर थाना आ रहे थे, उसी समय उनके घर के अन्य पुरुष केशव कदम जो तलवार लिये थे तथा घर की महिला भी आकर पुलिस पर हमला कर दिये। केशव कदम द्वारा हाथ में लिये हुये तलवार से उपनिरीक्षक मनीष राय के पेट में मारने का प्रयास किया गया, जिसको हाथ से

रोका गया, जिससे मनीष राय के हाथ में तथा उसके बांये हाथ पर चोट लगी। आरोपी केशव कदम से छुड़ाई हुई तलवार को मनीष राय से जप्त कर जप्ती पत्रक प्रपी-02 तैयार किये थे, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। आरोपी केशव कदम की तबीयत खराब हो जाने से उनको छोड़कर शेष आरोपी को थाने लेकर आये।

15— साक्षी अवधेश तिवारी अ.सा.05 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि बैहर थाने से घटनास्थल की दूरी लगभग 300-500 मीटर है, उक्त दूरी को तय करने में 15-20 मिनट लगेगा। उसे जानकारी नहीं है कि रवानगी कितने बजे दर्ज की गई है। साक्षी ने स्वीकार किया है कि संलग्न दस्तावेजों में रवानगी 10:35 बजे दर्ज है, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि घटना दिनांक को उनकी रवानगी 10:35 बजे हुई थी। वह लोग घटनास्थल पर 2-2:15 बजे पहुँचे थे। वह लोग थाने से राय साहब, शायद परन मेरावी, महिला आरक्षक सरोज के साथ थे।

16— साक्षी अवधेश तिवारी अ.सा.05 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि सर्च करने हेतु किसी स्थान पर जाने के पूर्व उसके संबंध में रोजनामचासान्हा में रवानगी दर्ज होती है, संलग्न रोजनामचासान्हा में रवानगी का समय 10:35 बजे दर्ज है, रवानगी उपरान्त जब वापस थाना आते है तो वापसी दर्ज होती है, उनकी वापसी 2:20 मिनट पर हुई थी। साक्षी के अनुसार राय साहब बता सकते है। साक्षी ने स्वीकार किया है कि घटना दिनांक को वह लोग करीब 30 मिनट में पहुँच गये थे। प्रकरण में आरोपी कोकिलेश्वर एवं रामेश्वर भाई-भाई है, केशव राव कदम इनके पिता है। इनके अलावा आरोपी सुनीताबाई, मनोज भोसले है। मनोज भोसले आरोपी कोकिलेश्वर एवं रामेश्वर के रिश्ते में क्या लगते है इसकी जानकारी नहीं है। प्रकरण के एक आरोपी को वह नहीं जानता है। उसे आरोपीगण के रिश्तेदारी के संबंध में जानकारी नहीं है। साक्षी के अनुसार घटना के समय जानकारी थी। साक्षी

ने यह स्वीकार किया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को 14 इंच की तलवार से मारेगा तो घोर उपहति होगी। साक्षी के अनुसार यदि उसे पकड़ा न जाय तो।

17— साक्षी अवधेश तिवारी अ.सा.05 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि तलवार की जप्ती मनीष राय साहब से हुयी थी, तलवार की जप्ती थाने में हुई थी। वह नहीं बता सकता कि घटना दिनांक को सर्च वारंट प्राप्त किया गया था या नहीं। साक्षी के अनुसार मनीष साहब बता सकते हैं। वह नहीं बता सकता कि उसके पुलिस कथन में कोकिलेश्वर का भाई—गंदी-गंदी गालियाँ देने लगा था लिखा है। साक्षी ने स्वीकार किया है कि घटना दिनांक को जो सट्टा-पट्टी पकड़ी गयी थी वह उसके समक्ष जप्त हुआ था। वह नहीं बता सकता कि सट्टा उपकरण में क्या-क्या था। साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि वह इसलिए नहीं बता कि सकता कि उसके समक्ष उक्त जप्ती की कार्यवाही नहीं हुई थी, जब वह लोग घटनास्थल पर पहुँचे थे तो कालू अपने कमरे और बालू अपने बैठक रूम में बैठा हुआ था, जैसे ही मौके पर राय साहब पहुँचे तो उन्होंने बालू को पटक दिये थे, किन्तु स्वीकार किया है कि घटना दिनांक को हल्ला सुनकर आस-पास के लोग इकट्ठे नहीं हुये थे लेकिन मेन रोड होने के कारण आवागमन हो रहा था।

18— साक्षी अवधेश तिवारी अ.सा.05 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि आरोपीगण के पूजास्थल में रखा हुआ तलवार टी.आई. साहब ने मारने के लिये लाया था, घटना दिनांक को उन लोगों को मारपीट के कारण राजेश्वर एवं कोकिलेश्वर को चोटें आई थी, टी.आई. साहब आरोपीगण से अवैध पैसों की मांग किये जाने और ना देने के कारण उनके विरुद्ध झूठा प्रकरण तैयार किये थे, किन्तु इन सुझावों को स्वीकार किया है कि आरोपीगण के घर के सामने दुकान है, उक्त दुकान को कौन चलाता है

इसकी जानकारी उसे नहीं है, घटना दिनांक को हमराह स्टाफ के लोग सिविल वर्दी में गये थे, अशोक डहाके, रामभजन साहू वारंटी तलाशी पूर्व से रवाना थे। वह नहीं बता सकता कि वारंटी तलाश हेतु कहां गये थे। यह अस्वीकार किया है कि दोनों व्यक्ति घटनास्थल पर उपस्थित नहीं थे। घटना दिनांक को उनके द्वारा संपूर्ण कार्यवाही करने में करीबन एक घंटा लगा होगा। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उनके द्वारा वापसी का समय 03:20 रहा होगा।

19— साक्षी परमसिंह असा.07 ने कथन किया है कि वह सभी आरोपीगण को जानता है। उस समय वह आरक्षक के पद पर बैहर थाने में पदस्थ था। घटना दिनांक 16.01.2004 के समय 14:00 बजे कंपाउण्डरटोला बैहर की है। उन्हें थाना प्रभारी महोदय द्वारा मौखिक सूचना मिली कि कोकिलेश्वर कंपाउण्डरटोला के मकान में अवैध रूप से सट्टा-पट्टी लिखी जा रही है, तब वह अपने साहब के साथ हमराह स्टाफ आरक्षक अवधेश तिवारी, महिला आरक्षक सरोज रवाना होने पर प्रधान आरक्षक अशोक डहाटे, आरक्षक रामभजन साहू, आरक्षक भूनेश्वर मिले वह सभी एक साथ कंपाउण्डरटोला पहुँचे। पहुँचने पर घेराबंदी कर कोकिलेश्वर और उसके साथ एक व्यक्ति उसका भाई को रंगे हाथ पकड़ा था। उनके पास से सट्टा-पट्टी लिखने की सामग्री जिन्हें उनके साहब के द्वारा जप्त की गई थी एवं आरोपी कोकिलेश्वर एवं व्यक्ति जो उसके साथ था उसे गिरफ्तार कर थाना ला रहे थे, तभी केशव कदम और उनके परिवार के सभी सदस्य जिनमें महिलायें भी थी सभी एक राय होकर माँ-बहन की गंदी-गंदी गाली-गलौच देकर हाथ-मुक्कों से सभी को मारने लगे, उसी बीच केशवराव कदम घर से तलवार लेकर आया और थाना प्रभारी मनीष राय को जानलेवा हमला कर तलवार से मारने की कोशिश किया पर उसी बीच मनीष राय साहब मार का बचाव किये, जिससे उन्हें दाहिने हाथ एवं कलाई में चोट आई थी एवं उसी बीच आरक्षक अवधेश तिवारी ने भी बीच-बचाव किया था, जिससे उसके बांये हाथ में चोट आई थी।

20— साक्षी परमसिंह अ.सा.07 के अनुसार कोकिलेश्वर एवं रामेश्वर को थाने लेकर आये तो वह मौके से फरार हो गये थे। अन्य आरोपीगण को भी पकड़ा गया था। उनके साहब एवं वह सभी कर्मचारी उस समय अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे थे, इसी उपरांत वह लोग जब सूचना पर आरोपीगण के घर पर पहुँचे तो उन लोगों के द्वारा एकत्रित होकर उन पर हमला किया गया था। उसके बयान थाने में उनके साहब के द्वारा लिये गये थे। घटनास्थल से उनकी वापसी रोजनामचासान्हा में दर्ज की गई थी। साक्षी से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने स्वीकार किया है कि आरोपी मनोज मोहबे ने सभी को नागपूर से गुंडे बुलवाकर जान से खत्म करवा देने की धमकी दिया था।

21— साक्षी परमसिंह अ.सा.07 ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि घटनास्थल थाने से लगभग एक कि.मी. की दूरी पर है। थाने से वह लोग 02:00 बजे मनीष राय एवं अन्य स्टॉफ के साथ निकले थे। वह लोग घटनास्थल पैदल गये थे। मौके पर वह लोग 05 मिनट में पहुँच गये थे। रामभजन साहू एवं अशोक डहाके प्रधान आरक्षक एवं आरक्षक भूनेश्वर उन्हें घटनास्थल के पास ही रास्ते में मिल गये थे। साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि सट्टा-पट्टी की घेराबंदी करने में उन लोगों को 10-15 मिनट और लगे थे, फिर मौके पर सट्टा-पट्टी पकड़ने के संबंध में लिखा-पट्टी आरोपीगण के आंगन के सामने नीम के पेड़ के नीचे बैठकर मनीष राय साहब ने किये थे। उसके बाद लिखा-पट्टी करने में उन्हें 05-06 मिनट और लगे, घटना के समय मौके पर आस-पड़ोस के लोगों की भीड़ लग गई थी, घटना के समय मौके पर नदीम, रियाज, फिरोज, जावेद भी उपस्थित थे और उक्त लोगों ने भी उक्त घटना को देखे एवं सुने थे, जो उसने मारपीट, गाली-गलौच, तलवार मारने की बात बताया है वह सट्टा-पट्टी की कार्यवाही की लिखा-पट्टी होने के बाद जब वह वापस थाना आने लगे तब की घटना है, आरक्षक रामभजन साहू उक्त घटना के समय उसके साथ मौके पर मौजूद था, उसके द्वारा घटना किस स्थान

पर हुई और कैसे हुई उसे जानकारी है, घटना के संबंध में उसके बयान मनीष राय साहब ने दर्ज किये थे।

22— साक्षी परमसिंह अ.सा.07 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उसने अपने बयान प्रडी-01 में यह बात बता दी थी कि मनीष राय साहब को सूचना मिली थी कि कोकिलेश्वर कंपाउण्डरटोला के मकान में अवैध रूप से सट्टा-पट्टी लिखी जा रही है। उसने उनके पास से सट्टा-पट्टी की सामग्री जप्त होने वाली बात भी बता दिया था। यदि उक्त बात उसके बयान प्रडी-01 में न लिखी हो तो वह कारण नहीं बता सकता। साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि पुलिस थाने में उन लोगों की रवानगी एवं वापसी का सान्हा दर्ज हुआ था, रवानगी सान्हा में स्टाफ के कौन-कौन अधिकारी एवं कर्मचारी रवाना हो रहे हैं उनके नाम, पद इत्यादि दर्ज किये जाते हैं, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि मौके पर वह लोग सिविल ड्रेस में पहुँचे थे। साक्षी के अनुसार वह सभी लोग मौके पर ड्रेस में पहुँचे थे। यह स्वीकार किया है कि मौके पर वह लोग सर्च वारंट लेकर नहीं गये थे। साक्षी के अनुसार घर के सामने छपरी में सट्टा पट्टी लिख रहे थे, जिसे जाकर पकड़े थे।

23— साक्षी परमसिंह अ.सा.07 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि वह लोग स्वयं लाठी एवं हथियार से लेश थे और आरोपी कोकिलेश्वर को पकड़कर हाथ, लात एवं मुक्के से मारपीट करना प्रारंभ कर दिये थे, उसे छुड़ाने के लिये राजे दौड़ा तो उसे भी हाथ, लात एवं लाठी से मारपीट किये थे, केशवराव की पत्नि मुक्ताबाई बीच-बचाव करने दौड़ी तो उसे भी धकेल दिये जिससे उसका बाया हाथ फ्रेक्चर हो गया था, उन्होंने सुनीताबाई के साथ भी मारपीट किये थे, केशवराव वृद्ध होने के कारण उस समय घटना को चुपचाप देखता रहा। साक्षी के अनुसार घटना वर्ष 2004 की है

उस समय वह वृद्ध नहीं था।

24— साक्षी परमसिंह अ.सा.07 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि मनीष राय साहब स्वयं आरोपीगण के पूजा के कमरे में रखी तलवार निकाल कर ले गये और जाते-जाते धमकी दिये कि उन लोगों को देख लेगा एवं उन लोगों को मजबूर कर देगा, आरोपी कोकिलेश्वर एवं राजेश्वर को पकड़कर ले जाते समय उन्हें अत्यधिक मारपीट किया, उनके द्वारा मारपीट करने से राजेश्वर के मुँह से खून निकलने लगा एवं पसली में चोट आने से वह गंभीर रूप से बेहोश हो गया था। वह नहीं जानता कि फिर उसे आरक्षक बब्बन यादव क्रमांक 185 के द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में भरती करवाया गया था, आरोपी गौरीशंकर मौके पर उपस्थित नहीं था, उस समय वह अपनी होटल में काम कर रहा था। वह नहीं जानता कि घटना के समय जो भीड़ इकट्ठा थी उसमें प्रकाश, दीपक, रमजान, उबेश, आरिफ, सालवंतीबाई, मीराबाई वगैरह भी उपस्थित थे, जिन्होंने घटना देखे थे। साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि आरोपीगण के द्वारा उन लोगों के साथ उक्त कथित कोई घटना नहीं की गई थी, अपने अधिकारी मनीष राय के कहने पर झूठी घटना की बात बता रहा है, मौके पर जब कोकिलेश्वर एवं राजेश्वर को वह लोग अत्यधिक मारपीट कर रहे थे उस समय लोगों के बीच-बचाव करने एवं गिरने से चोटें आई थी।

25— साक्षी अशोक डहाके अ.सा.11 ने कथन किया है कि वह दिनांक 16.01.2004 को थाना बैहर में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को वह आरक्षक, भूमेश्वर, रामभजन साहू के साथ कस्बा भ्रमण को गये थे, उसी दौरान थाना प्रभारी मनीष राय साहब द्वारा सूचना दिये कि राजेश्वर, कोकिलेश्वर कदम सट्टा-पट्टी खिला रहे हैं कि सूचना पर थाना प्रभारी महोदय द्वारा मौके पर चलने कहा गया जो वह कंपाउंडरटोला आरोपी

कोकिलेश्वर के घर गये थे, जो सट्टा-पट्टी लिखते हुये मिले थे। सट्टा-पट्टी एवं नकदी रुपये जप्त कर आरोपी को लेकर आ रहे थे कि उसी समय केशव कदम, राजेश्वर कदम, कोकिलेश्वर कदम की माँ मुक्ताबाई, राजेश्वर की पत्नि सुनीताबाई एवं राजेश्वर का साला मनोज भोसले एक साथ मिलकर राजेश्वर कदम और कोकिलेश्वर राय साहब एवं पूरे स्टाफ को माँ-बहन की गंदी-गंदी गालियाँ देकर उन सभी पर हमला कर दिये और हाथ-मुक्कों से मारपीट करने लगे।

26— साक्षी अशोक डहाके अ.सा.11 के अनुसार उसी दौरान केशव कदम एक तलवार लेकर निकला और मनीष राय साहब के पेट पर वार करने लगा, जिससे मनीष राय साहब ने बीच-बचाव किये, दाहिने हाथ की कलाई से खून बहने लगा तथा दाहिने हाथ के अंगुठे में चोट आई तथा स्टाफ को भी हाथ-मुक्कों से मारपीट करने लगे। उसी समय उसके समक्ष कोकिलेश्वर उर्फ कालू कदम को गिरफ्तार किया गया था, जो प्रपी-03 है जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा डी से डी भाग पर आरोपी कोकिलेश्वर के हस्ताक्षर हैं। उसे भी उक्त घटना में दाहिने हाथ के अंगुठे में चोटें आई थी, जिसका ईलाज सी.एच.सी. बैहर में हुआ था। उसने अपना बयान उपनिरीक्षक तिवारी जी को दिया था। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।

27— साक्षी अशोक डहाके अ.सा.11 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि दिनांक 16.01.2004 को थाना बैहर में प्रधान आरक्षक के पद पर रहते हुए वह पुलिस थाना बैहर में घटनाओं की जो रिपोर्ट थाने में आती थी, उसे लेखबद्ध करने का कार्य करता था, मौके पर मनीष राय साहब ने उसे उक्त घटना की कोई मौखिक अथवा लिखित रिपोर्ट देहाती नालसी के रूप में मौके पर ही दर्ज नहीं कराई थी, मौके पर सट्टा-पट्टी की लिखा-पट्टी के अलावा और जप्ती इत्यादि की लिखा-पट्टी की कार्यवाही नहीं की गई थी, सट्टा-पट्टी की लिखा-पट्टी की कार्यवाही मौके पर हुई थी, किन्तु

यह अस्वीकार किया है कि सट्टा-पट्टी की लिखा-पढ़ी की कार्यवाही आधा घंटे तक होते रही। साक्षी के अनुसार 15-20 मिनट तक होती है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि घटनास्थल जाने के लिये वह लोग करीब दिन के दो-ढाई बजे निकले थे, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि थाने से मौके पर पहुँचने में उन्हें 10-15 मिनट लगे थे। साक्षी के अनुसार 05-10 मिनट लगे थे। मौके पर पहुँचकर सट्टा-पट्टी लिखने वालों को पकड़ने में 05-10 मिनट और लगे।

28— साक्षी अशोक डहाके अ.सा.11 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उसके बाद उक्त सट्टा-पट्टी की कार्यवाही लिखने में 15-20 मिनट और लगे थे, पुलिस ने उसके घटना के संबंध में बयान लिये थे, उसके बयान पुलिस ने घटना के दिन ही लिये थे, मौके पर आस-पड़ोस के लोग रियाज, नदीम मोहम्मद, जावेद, फिरोज भी उपस्थित थे, किन्तु इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि आरोपीगण ने उन्हें ना ही माँ-बहन की गंदी-गंदी गालियाँ दिये और ना ही हमला किये और ना ही हाथ-मुक्कों से मारपीट किये थे, केशव कदम ने भी मनीष राय साहब के पेट पर वार नहीं किया था, केशव कदम तलवार लेकर नहीं निकला था, उन लोगों ने कोकिलेश्वर और राजेश्वर को सट्टा-पट्टी लिखते हो कहकर उसे बेरहमी से मारपीट किये थे। उक्त मारपीट से उन लोगों को भी चोटें आई थी। वह नहीं जानता कि इसी कारण उक्त आरोपीगण को चोटें आने से उनका मुलाहिजा करवाया गया था। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि उक्त घटना से बचने के लिये उन्होंने आरोपीगण के विरुद्ध यह झूठी कार्यवाही किये थे।

29— साक्षी रामभजन साहू अ.सा.04 ने कथन किया है कि वह आरोपी राजेश्वर, कोकिलेश्वर, मुक्ता, गौरीशंकर को जानता है तथा सुनीताबाई को नहीं जानता है। वह दिनांक 16.01.04 को थाना बैहर में आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को प्रधान आरक्षक अशोक डहाके एवं भूमेश्वर के साथ कस्बा भ्रमण में थे। सूचना प्राप्त हुई थी कि आरोपी कोकिलेश्वर अपने घर

कंपाउन्डरटोला बैहर में सट्टा लिखा रहा है। उक्त सूचना पर उपनिरीक्षक मनीष राय के साथ स्टाफ सहित कंपाउन्डरटोला आरोपी कोकिलेश्वर के मकान में गये।

30— साक्षी रामभजन साहू अ.सा.04 के अनुसार जब वह लोग गये थे तो आरोपी कोकिलेश्वर एवं राजेश्वर से सट्टा-पट्टी और पैसे की जप्ती उनके मकान से किये थे और मकान से जप्ती उपरान्त वापस थाना लेकर आ रहे थे, तभी घर के अंदर ही आरोपी मुक्ताबाई, सुनीता एवं गौरीशंकर एक राय होकर गंदी-गंदी गाली देकर उन लोगों के साथ मारपीट करने लगे और आरोपी केशवराव अपने घर से तलवार लेकर आया और उपनिरीक्षक मनीष राय को तलवार पेट में मार रहे थे, तभी मनीष राय ने अपने हाथ से तलवार को पकड़कर बचाव किया था तो उन्हें हाथ में चोट लगी थी। उसे दाहिने हाथ के अंगुठे में चोट लगी थी। उसके समक्ष बैहर पुलिस ने उप निरीक्षक मनीष राय से जप्ती पत्रक प्रपी-02 अनुसार एक लोहे की तलवार जप्त किये थे, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी कोकिलेश्वर को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रपी-03 बनाये थे जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।

31— साक्षी रामभजन साहू अ.सा.04 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि पुलिस विभाग में किसी भी स्थान पर खानगी एवं वापसी का रोजनामचासान्हा में उल्लेख होता है, घटना दिनांक 16.01.2004 को वह एवं प्रधान आरक्षक अशोक डहाके के साथ वारंटी तलाशी हेतु पोण्डी टाटरी (जिला मण्डला) गया था। उसे वापसी का समय ध्यान नहीं है, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि घटना दिनांक को वापसी के संबंध में कोई दस्तावेज इसलिए पेश नहीं किया गया है, क्योंकि उक्त दिनांक को वापस आया ही नहीं था। उसे घटना के संबंध में सूचना कब प्राप्त हुई थी इसकी जानकारी नहीं है। यह अस्वीकार किया है कि घटना के संबंध में समय की जानकारी

इसलिए नहीं है क्योंकि वह घटना के समय उपस्थित नहीं था, किन्तु इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उसकी रवानगी थाना प्रभारी के साथ नहीं हुई थी, आरोपी कोकिलेश्वर का मकान चालिस मकान में स्थित है, घटना के समय आरोपी राजेश्वर का जलपान गृह की दुकान जयहिन्द टाकिज़ के सामने थी। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि उसने अपने मुख्य परीक्षण में उपनिरीक्षक मनीष राय के साथ में आरोपी कोकिलेश्वर के मकान में गया था, गलत बता दिया है।

32— साक्षी सरोज चौधरी अ.सा.14 ने कथन किया है कि वह आरोपी को जानती है। घटना करीब सात आठ वर्ष पूर्व बैहर की है। घटना के समय उन्हें थाने में सूचना मिली थी कि आरोपीगण कोकिलेश्वर और अन्य कम्पाउण्डरटोला में सट्टा खिलाते हैं, उसके बाद वह लोग स्टाफ के साथ अवधेश तिवारी के साथ कम्पाउण्डर टोला पहुँचे तो वहाँ आरोपी कोकिलेश्वर के घर के सामने केशव मिले फिर वह लोग आरोपी के घर गये तो वहाँ आरोपी कोकिलेश्वर व अन्य सट्टा खिलाते मिले, जिन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार करके वह लोग थाने ला रहे थे, तो आरोपी कोकिलेश्वर के घर वाले उन पर हमला कर दिये तथा केशव कदम घर से तलवार लाकर मनीष राय साहब के पेट पर वार किया, जिससे बचाव में मनीष राय साहब को हाथ में चोटें आयी।

33— साक्षी सरोज चौधरी अ.सा.14 के अनुसार आरोपीगण उन लोगों पर हमला कर दिये थे और उन्हें मारने को हो रहे थे। फिर थाने से बाकी स्टाफ आये और वह लोग बड़ी मुश्किल से स्थिति काबू करके आरोपीगण को थाने लेकर आये। प्रकरण में उसके बयान हुए थे। यदि आरोपीगण को काबू में नहीं किया जाता तो वह निश्चित ही उन लोगों को मार डालते। आरोपीगण गंदी गंदी गाली गलौच कर रहे थे।

34— साक्षी सरोज चौधरी अ.सा.14 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उक्त घटना किस तारीख की है उसे नहीं मालूम, जब वह मौके पर गये तो केशव कदम रामायण पढ़ रहा था। साक्षी के अनुसार मनीष राय ने जब तलवार का बचाव किया तथा उन्होंने तलवार हथेली से पकड़ लिया था। इस कारण उन्हें हथेली पर चोट आयी थी। पुलिस ने उसके बयान जिस दिन घटना हुई थी उसी दिन लिये थे। साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि केशव कदम ने मनीष राय साहब के पेट पर तलवार से कोई वार नहीं किया, आरोपीगण ने उन पर कोई हमला भी नहीं किया। उसने अपने पुलिस बयान में यह बात बता दी थी कि यदि आरोपीगण को काबू में नहीं करते तो वे निश्चित ही उन लोगों को मार देते। यदि उक्त बात उसके पुलिस बयान प्रडी.06 में न लिखी हो तो वह कारण नहीं बता सकती। यह स्वीकार किया है कि घटना के समय वह मनीष राय साहब के अधिनस्थ कर्मचारी थे, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि वह इसी कारण घटना की सही बात नहीं बता रही है।

35— साक्षी नदीम मोहम्मद अ.सा.02 ने कथन किया है कि वह न्यायालय में उपस्थित आरोपी को जानता है। उसके सामने पुलिसवालों ने जप्ती प्रपी-01 के अनुसार संपत्ति जप्त नहीं की थी। उसने प्रपी-01 के अ से अ भाग पर हस्ताक्षर होना कहा। उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है। पुलिस वालों ने उसके बयान नहीं लिये थे। साक्षी ने उसका पुलिस बयान नहीं देना व्यक्त किया।

36— साक्षी रियाज अ.सा.03 ने कथन किया है कि वह आरोपीगण को जानता है। उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। उसने पुलिस को कोई बयान नहीं दिया था। वह और आरोपीगण एक ही मोहल्ले के हैं। साक्षी ने उसका पुलिस बयान न देना व्यक्त किया। उसके सामने पुलिस वालों ने कोई सामान जप्ती नहीं की थी। जप्ती प्रपी-01 के ब से ब भाग पर उसके हस्ताक्षर

है। ऐसा नहीं है कि वह और आरोपीगण एक ही मोहल्ले के हैं इसलिये बचाने के लिए झूठा बयान दे रहा है।

37— साक्षी जावेद खान अ.सा.12 ने कथन किया है कि वह आरोपीगण को जानता है। उसे घटना के बारे में जानकारी नहीं है। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान नहीं लिये थे। साक्षी से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि घटना दिनांक 16.01.2004 दोहपर दो बजे बैहर पुलिस राजेश्वर व कोकिलेश्वर को प्रकरण में सामान जप्त कर गिरफ्तार कर थाना ले जा रही थी, तभी राजेश्वर का भाई, पत्नि, माँ और मनोज आकर माँ-बहन की गंदी-गंदी गालियाँ दे रहे थे और पुलिस पार्टी पर हमला कर दिये, केशव घर से तलवार निकालकर दौड़ा और जान से मारने की नियत से राय साहब को मारा जिससे उनके हाथ में चोट लगी, सभी ने मिलकर मुंशी डहाके अशोक तिवारी के साथ मारपीट किये और भाग गये, पुलिस राजेश्वर और कोकिलेश्वर को गिरफ्तार कर थाना ले गये और मनोज ने फिरोज और रिजवान खान की उपस्थिति में जान से मारने की धमकी दी। साक्षी ने उसका पुलिस कथन प्रपी-18 पुलिस को न देना व्यक्त किया। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि उसका आरोपी से समझौता हो गया, इसलिये आज न्यायालय में असत्य कथन कर रहा है।

38— साक्षी फिरोज खान अ.सा.13 ने कथन किया है कि वह आरोपीगण को जानता है। उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान नहीं लिये थे। साक्षी से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि घटना दिनांक 16.01.2004 दोहपर दो बजे बैहर पुलिस राजेश्वर व कोकिलेश्वर को प्रकरण में सामान जप्त कर गिरफ्तार कर थाना ले जा रही थी, तभी राजेश्वर का भाई, पत्नि, माँ और मनोज आकर माँ-बहन की गंदी-गंदी गालियाँ दे रहे थे और पुलिस पार्टी पर हमला कर दिये, केशव घर से तलवार निकालकर दौड़ा और

जान से मारने की नियत से राय साहब को मारा जिससे उनके हाथ में चोट लगी, सभी ने मिलकर मुंशी डहाके अशोक तिवारी के साथ मारपीट किये और भाग गये, पुलिस राजेश्वर और कोकिलेश्वर को गिरफ्तार कर थाना ले गये और मनोज ने फिरोज और रिजवान खान की उपस्थिति में जान से मारने की धमकी दी। साक्षी ने उसका पुलिस कथन प्रपी-19 पुलिस को न देना व्यक्त किया। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि उसका आरोपी से समझौता हो गया, इसलिये आज न्यायालय में सही बात नहीं बता रहा है।

39— साक्षी डॉ० एन.एस. कुमरे अ.सा.06 ने कथन किया है कि वह दिनांक 16.01.2004 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना बैहर से मिस्टर मनीष राय टी.आई. बैहर स्वयं डॉक्टर मुलाहिजा फार्म लेकर आये जिनका उसके द्वारा चिकित्सीय परीक्षण किया गया। आहत के शरीर पर चोट क्रमांक 01—इंजाईड चोट जो कि एक इंच लिये हुये एक रेखा में वर्टिकल चमड़ी तक गहराई लिये नियमित किनारे सूखा हुआ रक्त जमा था जो कि दाहिने रिष्ट ज्वाइंट पर बाहर की तरफ एवं चोट क्रमांक 02—एक कंट्यूजन आधा गुणा आधा इंच लिये लालिमा लिये अनियमित किनारे जो कि एक दाहिने हाथ के किनारे के भाग पर होना पाया था। उक्त चोटें साधारण प्रकृति की थी। चोट क्रमांक 01 कड़ी एवं धारदार वस्तु से आ सकती थी तथा चोट क्रमांक 02 कड़ी एवं बोथरी वस्तु से आ सकती थी, जो उसकी जांच के छः घंटे के अंदर की थी। उसके द्वारा तैयार की गई परीक्षण रिपोर्ट प्रपी-04 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

40— साक्षी डॉ० एन.एस. कुमरे अ.सा.06 के अनुसार उक्त दिनांक को ही आहत स्वयं पुलिस कांस्टेबल अवधेश का मुलाहिजा किया गया, जिसमें एक चोट कंट्यूजन पाया जो कि आधा गुणा आधा इंच लिये अनियमित किनारे लालिमा लिये थी, उक्त चोट बांये थम्ब में बाहर की तरफ होना पाया था। उसके मतानुसार उक्त चोट साधारण प्रकृति की थी, जो उसके जांच के छः घंटे

F.No.2345030000172004

के अंदर की थी तथा कड़ी एवं बोथरी वस्तु से आ सकती है। उसके द्वारा तैयार की गई परीक्षण रिपोर्ट प्रपी-05 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को थाना बैहर से प्रधान आरक्षक अशोक द्वारा स्वयं मुलाहिजा फार्म लेकर आने पर स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। परीक्षण पर उसने सिर्फ एक चोट पाई, एब्रेजन जो कि तीन चौथाई गुणा आधा इंच लिये, चमड़ी निकल गई थी, अनियमित किनारे, सूखा हुआ रक्त पाया जो कि बांये पंजे पर थम्ब अंगुठे पर बाहर की तरफ होना पाया था। उसके मतानुसार उक्त चोट साधारण प्रकृति की थी। उसके जांच के छः घंटे के अंदर की थी। कड़ी एवं बोथरी वस्तु से आ सकती है। उसके द्वारा तैयार की गई परीक्षण रिपोर्ट प्रपी-06 है, जिसके ए से ए भाग ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

41— साक्षी डॉ० एन.एस. कुमरे अ.सा.06 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि परीक्षण के समय उसके समक्ष कड़ी एवं धारदार वस्तु नहीं लायी गयी थी, किन्तु इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि मनीष राय को आई चोट क्रमांक 01 गिरने से नुकीली वस्तु पर रगड़ खाकर आ सकती है, चोट क्रमांक 02 गिरने से रगड़ खाकर आ सकती है, अवधेश एवं अशोक उहाके को आई चोटें गिरने से कड़ी वस्तु से रगड़ खाकर आ सकती है, उसके द्वारा ऐसे कोई उक्त लोगों का मुलाहिजा नहीं किया गया था, आहतगण पुलिस वाले थे और उनके दबाव में आकर उसने उनकी झूठी रिपोर्ट तैयार की थी।

42— साक्षी जागेश्वर दहीकर अ.सा.01 ने कथन किया है कि वह दिनांक 01.04.04 को पटवारी के पद पर पटवारी हल्का नंबर 17/1 तहसील बैहर में पदस्थ था। उसके द्वारा थाना बैहर के अपराध क्रमांक 18/04 में नजरी नक्शा बनाया गया था, जो उसने मौके पर जाकर निरीक्षण करने के पश्चात बनाया था। नक्शा प्रपी-01 है जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि प्रपी-01 में क्रमांक 01 लाल स्याही से दर्शाया गया है जो घटनास्थल है,

केशवराव के मकान के सामने ही स्थित है, नजरी-नक्शा बनाये जाते समय प्रार्थी मनीष राय उपस्थित नहीं था, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि उसके द्वारा अपने मन से बनाया गया था। साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उसके द्वारा गवाह के बतलाये अनुसार बनाया गया था, फिरोज खान घटना के समय न्यायालय परिसर में मुंशी का काम करता था, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि बसंत भी मुंशी का काम करता था। उसे ध्यान नहीं है कि प्रपी-01 में बसंत वासनिक, बसंत चपरासी के हस्ताक्षर है।

43— साक्षी ए.एल. सरयाम अ.सा.09 ने कथन किया है कि वह दिनांक 16.01.2004 को थाना बैहर में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। थाना बैहर के अपराध क्रमांक 18/04 धारा 147, 148, 149, 307, 332, 353, 506, 294 भा.दं०सं० में प्रधान आरक्षक अशोक डहाके की खानगी का रोजनामचा सान्हा क्र 776, रोजनामचा सान्हा क्र 761 एवं रोजनामचा सान्हा 803 की नकल का सत्यापन उसके द्वारा किया गया था, जो प्र.पी.11 एवं 12 है, जिनके ए से ए भागों पर उसके हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि प्र.पी.11 एवं 12 उसकी हस्तलिपि में नहीं है, प्र.पी. 11 एवं 12 किस पुलिस वाले ने तैयार किया था उसे जानकारी नहीं है, आज वह अपने साथ प्र.पी.11 एवं 12 के असल रोजनामचा सान्हा लेकर नहीं आया है, किन्तु इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि प्र.पी.11 एवं 12 उसने अपने मन से लेख कर प्रकरण में संलग्न किया है तथा ऐसा कोई रोजनामचा सान्हा दर्ज नहीं हुआ था।

44— साक्षी उमेश तिवारी अ.सा.10 ने कथन किया है कि वह दिनांक 28.01.04 को थाना रूपझर में उपनिरीक्षक थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ होकर कार्यरत था। उक्त दिनांक को उसे पुलिस अधीक्षक बालाघाट के आदेश क्रमांक पु.अ./बाला/रीडर/40/2004 दिनांक 24.01.2004 के पालन में थाना बैहर के

अपराध क्रमांक 18/2004 धारा 147, 148, 149, 307, 332, 353, 506, 294 भा.द.सं. एवं 25 आर्म्स एक्ट की अग्रिम विवेचना कार्य संपादित करने का आदेश तथा थाना बैहर से प्रकरण की केस डायरी प्राप्त हुई। केस डायरी प्राप्त होने पर उसके द्वारा दिनांक 28.01.2004 को घटनास्थल का निरीक्षण कर प्रकरण के फरियादी तत्कालीन उप निरीक्षक थाना प्रभारी थाना बैहर श्री मनीष राय की निशादेही पर प्रकरण का नजरी नक्शा प्रपी-08 तैयार किया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रकरण की विवेचना के दौरान उसके द्वारा फरियादी मनीष राय, साक्षी अवधेश तिवारी, अशोक डहाके, परनसिंह, रामभजन, भूमेश्वर, सरोज चौधरी, जावेद खान, नदीम मोहम्मद, फिरोज खान, रियाज खान के कथन उनके बताये अनुसार लेख किये थे उसमें उसने अपनी तरफ से कुछ जोड़ा या घटाया नहीं था।

45— साक्षी उमेश तिवारी अ.सा.10 के अनुसार प्रकरण की विवेचना के दौरान उसने आरोपी राजेश्वर उर्फ कालू को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रपी-13 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं एवं बी से बी भाग पर आरोपी के हस्ताक्षर हैं। विवेचना के दौरान उसने आरोपी राजू उर्फ गौरीशंकर को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रपी-14 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं एवं बी से बी भाग पर आरोपी के हस्ताक्षर हैं। आरोपी मनोज भोसले को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रपी-15 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं एवं बी से बी भाग पर आरोपी के हस्ताक्षर हैं। आरोपी केशवराव कदम को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रपी-16 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं एवं बी से बी भाग पर आरोपी के हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा प्रकरण की विवेचना पूर्ण की जाकर अंतिम प्रतिवेदन प्रपी-17 के अनुसार दिनांक 17.05.2004 को तैयार किया जाकर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

46— साक्षी उमेश तिवारी अ.सा.10 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह अस्वीकार किया है कि प्रपी-08 का नक्शा-मौका फरियादी के बताये अनुसार तैयार नहीं किया है बल्कि उसने अपने मन से तैयार कर लिया है, किन्तु यह स्वीकार किया है कि प्रपी-08 का नक्शा-मौका घटना के करीब 12 दिन बाद तैयार किया गया है। साक्षी के अनुसार प्रकरण की विवेचना पुलिस अधीक्षक द्वारा उसे आदेशित किये जाने के उपरान्त प्रकरण की केस डायरी अग्रिम विवेचना हेतु दिनांक 28.01.2004 को प्राप्त होने पर घटनास्थल का नक्शा-मौका बनाया गया था। साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि ऐसा नहीं हुआ था कि प्रपी-08 का मौका-नक्शा घटना के एक हफ्ते के अंदर ही तैयार कर लिया था, मनीष राय के बयान दिनांक 03.02.2004 को लेख किये थे, प्र.डी-02 के कथन में फरियादी मनीष राय द्वारा यह नहीं बताया गया था कि सूचना की तस्दीक पर आरोपी राजेश्वर एवं कोकिलेश्वर अपनी दुकान के काउन्टर पर सट्टा पर्ची लिखकर सट्टा खिलाते हुये पाये गये। साक्षी के अनुसार उनके द्वारा अपने कथन में बताया गया कि आरोपी राजेश्वर एवं कोकिलेश्वर से सट्टा उपकरण एवं रुपये जप्त कर आरोपीगण को गिरफ्तार कर थाना वापस आ रहा था।

47— साक्षी उमेश तिवारी अ.सा.10 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि मनीष राय द्वारा प्रडी-02 के कथन में घटनास्थल का स्थान नहीं बताया गया है। साक्षी के अनुसार थाने पर राजेश्वर एवं कोकिलेश्वर द्वारा कम्पाउंडरटोला में सट्टा खिलाने की जानकारी प्राप्त होने पर हमराह स्टाफ के साथ कंपाउंडरटोला पहुँचकर कार्यवाही करना व घटना घटित करना लेख कराया गया। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि मनीष राय ने उसे प्र.डी-02 में यह नहीं बताया था कि आरोपीगण के पिता द्वारा उसे जान से मारने की नियत से एक तलवार से हमला किया गया। साक्षी के अनुसार उनके द्वारा अपने कथन में बताया गया कि आरोपी केशव कदम ने अपने घर से एक तलवार निकाला तथा उसे जान से मारने की नियत से पेट पर मारा था। साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि मनीष राय ने उसे प्रडी-02 के कथन में यह

नहीं बताया था कि आरोपी कोकिलेश्वर, राजेश्वर एवं केशव के अतिरिक्त अन्य आरोपीगण को नाम से नहीं जानता था, घटना के बाद मौके पर उपस्थित लोगों ने उसे अन्य आरोपीगण के नाम से परिचय कराया था तथा अन्य आरोपीगण का नाम बताने वाला व्यक्ति आरोपी कोकिलेश्वर था, प्रडी-02 के बयान में मनीष राय ने उसे घटना का समय नहीं बताया था इसलिये उसने लेख नहीं किया।

48— साक्षी उमेश तिवारी अ.सा.10 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह अस्वीकार किया है कि मनीष राय ने उसे प्रडी-02 के कथन में घटना का समय 11 से 1:00 बजे दिन का बताया था किन्तु उसने लेख नहीं किया। साक्षी के अनुसार मनीष राय द्वारा स्वयं प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख कर घटना का समय अंकित किया था, इसलिये पृथक से समय के संबंध में खुलासा उनके कथन में नहीं किया गया है। साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि केस डायरी में उपलब्ध प्रथम सूचना पत्र में घटना का समय 14:00 बजे अर्थात् 2:00 बजे लेख किया गया है, विवेचना के दौरान उसने इस प्रकरण में आरोपी कोकिलेश्वर की गिरफ्तारी नहीं की थी। साक्षी के अनुसार पूर्व अधिकारी द्वारा इस प्रकरण में आरोपी कोकिलेश्वर की गिरफ्तारी की गयी थी।

49— साक्षी उमेश तिवारी अ.सा.10 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि उसने मनीष राय के बयान उनके बताये अनुसार न लिखकर अपने मन से लिख लिया था, फरियादी मनीष राय ने उसे कोई कथन नहीं दिया था, किन्तु इन सुझावों को स्वीकार किया है कि परनसिंह ने अपने कथन प्रडी-01 में घटना का समय नहीं बताया था, परनसिंह ने अपने बयान प्रडी-01 में घटनास्थल नहीं बताया था। साक्षी के अनुसार थाने पर राजेश्वर एवं कोकिलेश्वर द्वारा कंपाउन्डरटोला में सट्टा खिलाने की जानकारी प्राप्त होने पर हमराह स्टाफ के साथ कंपाउन्डरटोला पहुँचकर कार्यवाही करना व घटना घटित करना लेख कराया गया।

50— साक्षी उमेश तिवारी अ.सा.10 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि परनसिंह ने प्रडी-01 के बयान में उसे यह नहीं बताया था कि केशव कदम घर से तलवार लेकर आया और थाना प्रभारी मनीष राय को जान लेवा हमला कर मारने की कोशिश किया। साक्षी के अनुसार उसने प्रडी-01 के बयान में बताया है कि केशव कदम घर से तलवार लाय और मनीष राय साहब को जान से मारने की नियत से पेट पर मारा। साक्षी ने अस्वीकार किया है कि परनसिंह ने प्रडी-01 के बयान में उसे यह बताया था कि थाने से वह लोग 2:00 बजे मनीष राय एवं अन्य स्टाफ के साथ निकले थे, किन्तु यह स्वीकार किया है कि मनीष राय एवं परनसिंह ने अपने कथन प्रडी-01 एवं प्रडी-02 में उसे यह नहीं बताया था कि वह लोग वर्दी में गये थे। साक्षी के अनुसार ड्यूटी पर पुलिस अधिकारी सदेव यूनिफार्म या वर्दी में ही होता है, जो पृथक से पूछने या बताये जाने का विषय नहीं है।

51— साक्षी उमेश तिवारी अ.सा.10 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि गवाह नदीम मोहम्मद ने अपना कथन प्रडी-03 में ए से ए भाग का कथन उसके समक्ष व्यक्त नहीं किया था और उसने अपने मन से उसका बयान लिख लिया था, गवाह रियाज खान ने अपने कथन प्रडी-04 में ए से ए भाग का कथन उसके समक्ष नहीं दिया था उक्त कथन उसने अपने मन से लेख कर लिया है, किन्तु यह स्वीकार किया है कि गवाह रामभजन के द्वारा अपने बयान प्रडी-05 में उसे यह नहीं बताया था कि कोकिलेश्वर एवं राजेश्वर से सट्टा-पट्टी एवं पैसा उनके मकान से जप्त किया था। साक्षी के अनुसार उसके द्वारा अपने कथन में बताया गया कि स्टाफ के साथ कंपाउन्डरटोला पहुँचे राजेश्वर एवं कोकिलेश्वर से सट्टा उपकरण एवं रुपये मिले जो जप्त किये थे। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि गवाह रामभजन साहू ने अपने कथन प्रडी-05 में घटना घर के अंदर की होना बताया था।

52— साक्षी उमेश तिवारी अ.सा.10 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि रामभजन साहू ने उसे घटना का समय नहीं बताया था, अवधेश तिवारी के कथन प्रडी-06 में घटना का समय नहीं लिखा है, अवधेश तिवारी ने प्रडी-06 के बयान में घटना दोपहर 2, 2:15 बजे की नहीं बताया था, अवधेश तिवारी ने प्रडी-06 के कथन में यह नहीं बताया है कि केशव कदम द्वारा हाथ में लिये तलवार से उपनिरीक्षक मनीष राय के पेट में मारने का प्रयास किया गया। साक्षी के अनुसार उसने अपने प्रडी-06 के कथन में बताया है कि केशव कदम अपने घर से तलवार लाया और मनीष राय साहब को जान से मारने की नियत से पेट पर मारा। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि उसके द्वारा गवाहों के बयान उनके बताये अनुसार लेख नहीं किये जाकर अपने मन से लेख कर दिये गये हैं, किन्तु यह स्वीकार किया है कि प्रपी-08 में क्रमांक 05 एडव्होकेट पाठक का मकान इसी मकान के पीछे बाड़ी में पत्थर के पास सट्टा-पट्टी दर्ज है। साक्षी के अनुसार उक्त बात उसे मनीष राय ने मौका-नक्शा बनाते समय बतायी थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि थाने में स्टाफ की उपस्थिति रजिस्टर में दर्ज होती है। उस रजिस्टर की प्रति इस प्रकरण में संलग्न नहीं है। साक्षी के अनुसार घटना के संबंध में अधिकारी एवं कर्मचारियों के घटनास्थल पर रवाना होने एवं वापस आने की रवानगी/वापसी सान्धों की नकल प्रकरण में पेश है।

53— साक्षी उमेश तिवारी अ.सा.10 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि आरोपीगण की पहचान कार्यवाही प्रकरण के फरियादी एवं साक्षियों से नहीं कराई गई थी। साक्षी के अनुसार प्रकरण में नामजद आरोपीगण की शिकायत हुई थी, इसलिये पहचान कार्यवाही नहीं की गई थी। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि आरोपीगण के विरुद्ध उसके द्वारा झूठा प्रकरण तैयार किया गया है।

54— प्रकरण में स्वतंत्र साक्षीगण को छोड़कर सभी साक्षीगण के कथन घटना के संबंध में अखण्डनीय है और उनमें कोई तात्त्विक विरोधाभास अथवा लोप नहीं है। मात्र पुलिस साक्षी होने के कारण साक्षीगण की साक्ष्य खारिज नहीं की जा सकती, क्योंकि उक्त संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा सुस्थापित सिद्धांत है तथा अभियुक्तगण का पुलिस से कोई पूर्व वैमनस्य भी दर्शित नहीं है। प्रकरण में अभियुक्तगण की पहचान के संबंध में भी कोई विवाद नहीं है तथा अभियुक्तगण द्वारा भी कोई बचाव साक्ष्य प्रस्तुत नहीं है कि वह घटनास्थल पर उपस्थित नहीं थे। यद्यपि सार्वजनिक धुत अधिनियम के तहत की गई कार्यवाही के दस्तावेज प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, तथापि वर्तमान प्रकरण की कार्यवाहियों के संबंध में प्रस्तुत दस्तावेज प्रमाणित हैं तथा प्रकरण में संबंधित रोजनामचा सान्हा भी प्रस्तुत है।

55— अभियुक्तगण द्वारा जिस तरह लोकसेवक के विधिपूर्ण शक्ति के प्रयोग के दौरान आपराधिक बल का प्रयोग किया गया है, उससे उक्त जमाव के विधि-विरुद्ध जमाव होने के संबंध में कोई संदेह नहीं है तथा उक्त विधि-विरुद्ध जमाव के सदस्यों द्वारा जिस प्रकार सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में पुलिस कर्मचारियों को चोटें पहुँचाकर हिंसा का प्रयोग किया गया है, उससे यह सिद्ध होता है कि उनके द्वारा बलवा कारित किया गया, परंतु मृत अभियुक्त केशवराव के अतिरिक्त अन्य अभियुक्तगण के किसी अस्त्र अथवा आयुध से सुसज्जित होने के संबंध में प्रकरण में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में शेष अभियुक्तगण के संबंध में धारा-148 भा.द.वि. का अपराध सिद्ध नहीं होता।

56— अभियुक्तगण द्वारा जिस प्रकार अभियुक्त कोकिलेश्वर और राजेश्वर को गिरफ्तारी से बचाने के लिए पुलिस बल पर हमला कर उन्हें चोटें पहुँचाई गई, उससे यह भी संदेह से परे प्रमाणित होता है कि उनके द्वारा लोकसेवकों को कर्तव्य के निर्वहन से भयोपरत करने के लिए आपराधिक बल का प्रयोग किया गया तथा स्वेच्छया उपहति कारित की गई।

57— साक्षीगण के अनुसार आरोपीगण उन्हें गाली-गलौच कर रहे थे। न्यायदृष्टांत शरद दवे वि० महेश गुप्ता, 2005(4)एम.पी.एल.जे.330 के अनुसार केवल अश्लील गालियाँ धारा-294 भा.द.वि. का अपराध गठित नहीं करती है तथा न्यायदृष्टांत बंशी विरूद्ध रामकिशन, 1997(2) डब्ल्यू.एन.224 के अनुसार केवल गालियाँ दिया जाना इस अपराध को गठित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। साथ ही घटनास्थल के लोकस्थान होने के संबंध में कोई समुचित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। फलतः उक्त वैधानिक स्थिति के प्रकाश में यह प्रमाणित नहीं होता कि अभियुक्तगण ने परिवादी एवं आहतगण को लोक स्थान के समीप अश्लील शब्द उच्चारित किया व उसे व दूसरों को क्षोभ कारित किया।

58— भारतीय दण्ड संहिता की धारा-506 के अपराध हेतु आवश्यक है कि अभियुक्तगण का आशय आहत व्यक्ति को अभित्रास कारित करना हो तथा यह बात निष्काम होगी कि आहत अभित्रस्त होता है की नहीं, तथापि अभित्रास कारित करने के किसी आशय के बिना किन्हीं शब्दों की मात्र अभिव्यक्ति धारा-506 को काम में लाये जाने के लिये पर्याप्त नहीं होगी। वर्तमान प्रकरण में घटना के तुरंत बाद प्रथम सूचना दर्ज किया जाना दर्शित है। प्रकरण के आहतगण स्वयं पुलिस कर्मचारी है। प्रकरण की साक्ष्य तथा घटना के बाद आहतगण के आचरण से यह दर्शित नहीं होता कि अभियुक्तगण द्वारा उक्त आरोपित अपराध कारित किया गया है, क्योंकि मात्र धमकी देने से इस धारा की आवश्यकतायें पूरी नहीं होती। उक्त संबंध में न्यायदृष्टांत अमूल्य कुमार बेहरा वि० नबघन बेहरा 1995 सी.आर.एल.जे.3559 (उडीसा) तथा सरस्वती वि० राज्य 2002 सी.आर.एल.जे.1420 (मद्रास) अवलोकनीय है। फलतः यह प्रमाणित नहीं होता कि अभियुक्तगण द्वारा परिवादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया गया। फलतः अभियुक्तगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-148, 294, 506 के अपराध के आरोपों से दोषमुक्त कर भारतीय दण्ड संहिता की धारा-147, 332, 353 सहपठित धारा-149 के अपराध के आरोपों में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

59— अभियुक्तगण द्वारा किये गए अपराध की प्रकृति को देखते हुए एवं इस प्रकार के अपराध से सामाजिक व्यवस्था के प्रभावित होने से उन्हें परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता। अतः दण्ड के प्रश्न पर सुनने हेतु प्रकरण कुछ देर बाद पेश हो।

(अमनदीपसिंह छाबड़ा)
न्या.मजि.प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला बालाघाट

पुनःश्च—

60— दंड के प्रश्न पर अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। उनका कहना है कि अभियुक्तगण का यह प्रथम अपराध है। वह विगत 13 वर्षों से विचारण का सामना कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में उनके साथ नरमी का व्यवहार किया जावे।

61— बचाव पक्ष के तर्कों के आलोक में प्रकरण का अवलोकन किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धि दर्शित नहीं है। प्रकरण वर्ष 2004 से विचाराधीन रहा है, जिसमें अभियुक्तगण कुछ समय छोड़कर उपस्थित होते रहे हैं। तथापि अपराध की गंभीरता को देखते हुए उनके विरुद्ध नरम रुख लिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता, बल्कि उन्हें समुचित दण्ड दिये जाने की आवश्यकता है, जिससे उक्त किस्म के अपराधों की पुनरावृत्ति न हो सके और लोक व्यवस्था कायम रखने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति हतोत्साहित न हो।

62— अभियुक्तगण द्वारा लोकसेवक को भयोपरत करने के लिए कारित दोनों अपराध एक ही संव्यवहार में किये गये हैं, जिस हेतु पृथक-पृथक दंड की प्रणीति न्यायिक प्रतीत नहीं होती। फलतः उन्हें केवल गुरुत्तर अपराध के लिए दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय दण्ड संहिता की धारा-332/149 के अपराध के लिये प्रत्येक अभियुक्त को 01 वर्ष का साधारण कारावास एवं 1,000—1,000/—(एक-एक हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि न चुकाए जाने की दशा में प्रत्येक अभियुक्त को अर्थदण्ड की

F.No.2345030000172004

राशि के लिये 01-01 माह का साधारण कारावास पृथक से भुगताया जावे तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-147 के अपराध के लिये प्रत्येक अभियुक्त को 06 माह का साधारण कारावास एवं 500/- (पांच-पांच सौ) रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि न चुकाए जाने की दशा में प्रत्येक अभियुक्त को अर्थदण्ड की राशि के लिये 15-15 दिवस का साधारण कारावास पृथक से भुगताया जावे। अभियुक्तगण की दोनों सजाएँ साथ-साथ चलेगी तथा अभियुक्तगण द्वारा न्यायिक निरोध में व्यतीत की गई अवधि को मूल कारावास की अवधि में समायोजित किया जावे।

63- अभियुक्तगण के जमानत-मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

64- प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति एक तलवार को तोड़कर नीलाम कर राशि राजकोष में जमा की जावे तथा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

65- प्रकरण में अभियुक्त कोकिलेश्वर दिनांक 17.01.2004 से दिनांक 23.01.2004 तक, अभियुक्त मुक्ताबाई दिनांक 17.01.2004 से दिनांक 20.01.2004 तक, अभियुक्त सुनीता दिनांक 17.01.2004 से दिनांक 20.01.2004 तक, अभियुक्त राजेश्वर उर्फ कालू दिनांक 04.02.2004 से दिनांक 06.02.2004 तक, अभियुक्त राजू उर्फ गौरीशंकर दिनांक 04.02.2004 से दिनांक 06.02.2004 तक अभिरक्षा में निरुद्ध रहे हैं, उक्त संबंध में धारा-428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र बनाया जावे जो कि निर्णय का भाग होगा।

66- अभियुक्तगण को निर्णय की प्रतिलिपि धारा-363(1) द.प्र.सं. के तहत निःशुल्क प्रदान की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया।

सही / -

(अमनदीपसिंह छाबड़ा)

न्या.मजि.प्रथम श्रेणी, बैहर

जिला बालाघाट

सही / -

(अमनदीपसिंह छाबड़ा)

न्या.मजि.प्रथम श्रेणी, बैहर

जिला बालाघाट